भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2632

उत्तर दिनांक 11/12/2024 को दिया गया

बांसवाड़ा जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

2632. श्री राजकुमार रोत

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या बांसवाडा संसदीय क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई थी तथा उक्त प्रयोजनार्थ कितने लोगों को अनुबंध प्रदान किया गया था, साथ ही जारी अधिसूचना तथा उसके तहत दिए गए अनुबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बांसवाड़ा जिले में उक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक कुल भूमि के क्षेत्रफल तथा उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किया गया है तथा यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं तथा उक्त परियोजना की सुरक्षा के संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ङ) उक्त परियोजना में कितनी मात्रा में बिजली उत्पादित होने की संभावना है तथा उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां उत्पादित बिजली वितरित किए जाने की संभावना है तथा बिजली वितरण का स्तर क्या है; और

(च) उक्त परमाणु संयंत्र के कितने वर्षों तक चालू रहने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) हां।

(ख) माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना, राजस्थान सरकार के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 03 सितंबर, 2012 को जारी की गई। भूमि एवं भू-संपत्तियों के बदले कुल 3044 स्वामित्व धारकों, संयुक्त स्वामित्व धारकों और परिसंपत्ति धारकों को लगभग 284.41 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया।

(ग) परियोजना (आवासीय परिसर सहित) के लिए कुल 660.15 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। सरकार ने स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टरों (4 x 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर) की चार इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के अनुरूप पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन किए गए और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई। पर्यावरणीय अनुमति (ईसी) देने संबंधी मामला एमओईएफएंडसीसी के विचाराधीन है।

(ङ) उक्त विद्युत परियोजना से 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा जिससे बांसवाड़ा जिले के साथ-साथ पूरे राजस्थान राज्य को लाभ मिलेगा। केंद्रीय क्षेत्र के बिजली उत्पादन स्टेशनों द्वारा उत्पादित बिजली को, निर्धारित मानकों के अनुसार विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा बिजली क्षेत्र के लाभार्थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आबंटित किया जाएगा।

(च) नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के डिजाइन की आर्थिक आयु-सीमा लगभग 40 वर्ष की है। प्रणालीगत आयु मूल्यांकन अध्ययन और आयु विस्तार उपायों के आधार पर, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को अगले 20 वर्षों या उससे अधिक समय तक संरक्षित रूप से प्रचालित किया जा सकता है। जिन रिएक्टरों की आयु-सीमा का विस्तार किया जाता है, संरक्षा की शर्तों के अनुरूप, उनका उन्नयन कर उन्हें अत्याधुनिक स्तर पर लाया जाता है। तब उन्हें परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा लाइसेंस प्रदान की गई विस्तारित अवधि के लिए प्रचालित किया जाता है।

*****